



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

	 कार्यालय Office of the मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager, बिलासपुर - (छ ग.) Bilaspur(C.G.)
दर परिपत्र स. 61(माल)/2017	Rates Circular No. 61 (G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/WB/Policy/Pt.I/1750

दिनांक / Date: 30/03/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ट्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, /Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, /Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर/ARMs भिलाई, कोरवा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी)/Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए.) द.पू.म.रे. बिलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक, /CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, /Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चेंन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुवली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता। कॉनकोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता। सीएओ(एफओआईएस), कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, महाप्रबंधक, सीएओ/एफओआईएस, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, ओसीसी, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

विषय / Sub:- Guidelines regarding provision , installation and functioning of weighbridges.

संदर्भ / Ref:- (i) Railway Board's Para 3.5 of Rates Master Circular/Provision of Weighbridge/2014/0 and its Corrigendum No.5 dt. 30.10.2015.
(ii) This office Rates Circular No. 96(G)/2014 & 186(G)/2015.

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या **TC-I/2005/108/3 Pt.III** दिनांक 29/03/2017 (Corrigendum No.6 to RATES MASTER CIRCULAR PROVISION OF WEIGHBRIDGE/2014/0), आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Contd...2.

Rates Circular No.61 (G)/2017

In terms of Para 3.5 of Rates Master Circular under reference, the exemption from replacement of static weighbridges with electronic in-motion weighbridges (EIMWBs) is permitted in specific cases over SER, SECR & ECR and the same valid upto 31.03.2017 as per corrigendum No.5 dt. 30.10.2015.

The matter has been reviewed and it has been decided to extend the validity of above mentioned exemption beyond 31.03.2017 for a period of one year i.e. upto 31.03.2018 in following cases:

- SECR - SAIL/Bhilai Steel Plant and collieries sidings of M/s SECL
- ECR - Static weighbridge of M/s CCL at Karagali, Kathara(W), Kathara (M), Swang (W), Swang (M), Giddi 'A' (W), Giddi 'A' (R) , West Sirka & Bhurkunda: of M/s BCCL at Dugda -I & Dugda-II and M/s NCL at Jhingurdah
- SER - Rajarappa Washery of M/s CCL

Accordingly, Para 3.5 of Rates Master Circular under reference may be modified.

Zonal Railways should ensure regular calibration of static weighbridges in a periodic manner situated in above - mentioned locations. Railways should also furnish the action plan for replacement of static weighbridges with EMWBS or notifying associate/alternate associate EIMWBs for above -mentioned locations.

This issues in consultation of Traffic Transportation Dte. and with the concurrence of Finance Dte. Of the Ministry of Railways.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।



(एस. एम. गोन्डाने)
उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पण्य
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक